

अनुदान संख्या 89 – जैव प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 89 – DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व: स्वीकृत— मूल	Revenue: Voted- Original	3502,37,00			
			3502,39,00	2851,14,08	-651,24,92
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				611,05,47

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-
1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Head Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	26202.00			
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-26203.00			
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	320517.00			
पू.	S.	1.00	286000.28	281997.86	-4002.42
पु.	R.	-34517.72			

(I) ₹26204.00 लाख (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक अनुदान सहित) का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹26203.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास," – ₹25203.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित), और

(खा) "औद्योगिक और उद्यमिता विकास" – ₹1000.00 लाख

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "स्वायत्त संस्थानों को सहायता" – ₹15802.00 लाख की बचत (₹84691.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने और चल रहे कार्यों के संबंध में अपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के कारण हुई।

(खा) "औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास" – ₹24357.37 लाख की बचत (₹95000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के तहत ₹400.78 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

(I) Provision of ₹26204.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) remained wholly unutilized under three heads; of these ₹26203.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- "Other Scientific Research – Assistance to Other Scientific Bodies"- under the following heads:-

(A) "Biotechnology Research and Development" – ₹25203.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "Industrial and Entrepreneurship Development"- ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3425" – "Others - Assistance to Other Scientific Bodies"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Autonomous Institutions"- saving of ₹15802.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84691.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and submission of incomplete documents of ongoing projects.

(B) "Industrial and Entrepreneurship Development"- saving of ₹24357.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹95000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under one head saving of ₹400.78 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतों (₹2331.57 लाख) का उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक तौर पर किया गया था जैसा कि मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास" के तहत ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1639.23 लाख था।

2. The above savings were partly (₹2331.57 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2022 under Major Head "3425"- "Others- Assistance to Other Scientific Bodies-Biotechnology Research and Development". Actual excess, however, was ₹1639.23 lakhs.